17/1/2…

पक्षकार … को पेश हो

12/01/26

पत्रा० पेश हुई। वकु० उप०। मूल वाद में P.D. जारी
करने बावत सहमति प्रदान की। वकु० अधिवक्ता
की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा
उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक
पाबंद करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन
किया गया एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि
दावा 53 AA का है। एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा
P.D. जारी करने बावत सहमति भी प्रदान की जा
चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निस्तारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तक उभयपक्षकरान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबंद किया जाता है। एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।